

[2025] 4 एस. सी. आर 204:2025 आई.एन.एस.सी 359

सीता राम और अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 228/2013)

06 मार्च 2025

[जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन, जे. जे.]

विचारणीय मुद्दा

मामला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यता से संबंधित है, जिसमें अपीलकर्ता संख्या 1 को धारा 304 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और अपीलकर्ता संख्या 2 को धारा 323 और 451 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और तदनुसार सजा सुनाई गई थी, जिसमें विचारण अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश को खारिज कर दिया गया था।

संक्षिप्त मुकदमा †

दंड संहिता, 1860 - धारा 304, 323 और 451 - गैर इरादतन हत्या - सिर में चोट लगने के कारण दम घुटना - मृतक का अपने ही भाई सह-अभियुक्त से झगड़ा हुआ था - सह-अभियुक्त ने अपने दो दोस्तों-अपीलकर्ताओं को बुलाया और अपीलकर्ता नंबर 1 ने मृतक के माथे पर दरांती से वार किया और अन्य दो ने मुक्का और लात-घूंसें से हमला किया - मृतक ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराई - बाद में तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हो गया - नौ दिन बाद उसकी मौत हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण दम घुटना था - ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया - हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता नंबर 1 को धारा 304 के तहत दंडनीय अपराध और अपीलकर्ता नंबर 2 को धारा 323 और 451 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई - हस्तक्षेप:

अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय द्वारा दोनों अपीलार्थियों को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए दिए गए तर्कों में कोई स्पष्ट त्रुटि या विकृति नहीं है-मृत्यु का कारण दम घुटना प्रतीत होता है-आम तौर पर, दम घुटना, गला घोटने या गला घोटने के कारण होता है, हालांकि, अभियोजन पक्ष का मामला ऐसा नहीं था- कभी-कभी, अगर सिर में चोट के कारण मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है जो दम घुटने का कारण बन

सकती है- पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि खोपड़ी के फ्रैक्चर के इलाज के दौरान मृतक को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया था, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गई थी, जब पेट में तरल पदार्थ उसके फेफड़ों में चला गया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई - पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बस इतना कहा गया है कि मौत का कारण दम घुटना था, जबकि चिकित्सा-कानूनी न्यायशास्त्र में मृतक की मौत का कारण सिर में घाव होना होगा, जिससे खोपड़ी में दरार पड़ गई, जिसके कारण दम घुट गया और अंततः मृतक की मौत 'हाइपोक्सिक मस्तिष्क की चोट' से हुई। इसके अलावा, यह दलील कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक द्वारा स्वयं दर्ज कराई गई थी, फिर भी इसे मृत्युपूर्व बयान नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें मृत्यु की आशंका नहीं थी, स्वीकार नहीं की जा सकती - हालांकि, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को कम करने के कारण सजा कम कर दी गई है - अपीलकर्ता संख्या 1 की सजा 6 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है और अपीलकर्ता संख्या 2 की सजा 1 वर्ष से घटाकर पहले से ही भुगती गई अवधि कर दी गई है। [पैरा 33, 34, 44, 45, 55-60]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 32 - मृत्यु पूर्व कथन - स्वीकार्यता, यदि मृत्यु की आशंका पर निर्भर हो:

अभिनिर्धारित किया गया: भारत में कानून मृत्युपूर्व कथन की स्वीकार्यता को व्यक्ति की मृत्यु के निकट होने की जानकारी पर निर्भर नहीं बनाता है। यदि व्यक्ति को यह आशंका न भी हो कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी उसकी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में उसका बयान धारा 32 के अंतर्गत स्वीकार्य होगा - एक बार जब मृत्युपूर्व कथन को विश्वसनीय मान लिया जाता है, तो यह प्रश्न नहीं उठता कि कोई शपथ नहीं दिलाई गई थी और मृत्युपूर्व कथन की जिरह द्वारा जाँच नहीं की गई थी - यह कहना गलत है कि मृत्युपूर्व दिए गए बयान पर पुष्टि के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। [पैरा 50, 52]

न्यायशास्त्र - चिकित्सा-कानूनी न्यायशास्त्र - श्वासावरोध और हाइपोक्सिक-इस्केमिक मस्तिष्क चोट - व्याख्या। [पैरा 34-44] [पैराग्राफ 34-44]

उद्धृत मामला कानून

इरफान @ नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2023] 11 एससीआर 789: 2023 आईएनएससी 758; हरियाणा राज्य बनाम मांगे राम और अन्य [2002] सप. 5

एससीआर 35: (2003) 1 एससीसी 637; कंस राज बनाम पंजाब राज्य और अन्य [2000] 3 एससीआर 662: (2000) 5 एससीसी207 - संदर्भित।

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएँ

शिमट के अटॉर्नीज डिक्शनरी ऑफ मेडिसिन, खंड 1, पृष्ठ A-313 पर; ब्रास्लो, बी.एम., स्टाविकी, एस.पी., और डिकिंसन, ई.टी., पुरुष धड़ की चोट के साथ, 53(1) एनाल्स ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, 159-167 (2009); मायरियम लैसेर्ट, एंजेला हेस शापशक, फसिल बी. मेसफिन, "हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी", नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, 27 जनवरी, 2023; जैचरी मेसिना; एंजेला हेस शापशक; रेबेका मिल्स। "एनोक्सिक एन्सेफैलोपैथी", नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन; डि मुजियो बी, महसूब एम, वालिज़ाई टी, एट अल। हाइपोक्सिक-इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी (वयस्क और बच्चे)। लॉरा एल डुगन और डेनिस डब्ल्यू चोई। "हाइपोक्सिया- इस्केमिया और ब्रेन इंफार्क्शन", नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन; एम. माइकल वोलफ और जॉर्ज सैक्स, एसिड दमन: एस्ट्रोडोडेनल अल्सर हीलिंग, गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लक्स रोग और तनाव से संबंधित इरोसिव सिंड्रोम के लिए चिकित्सा का अनुकूलन, वॉल्यूम 118 (2) गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एस 9-एस 31 (2000) - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; साक्ष्य अधिनियम, 1872

मुख्य शब्दों की सूची

सदोष मानव वध; चोट; दम घुटना; सिर पर चोट; 'दारत' से वार; जठरांत्रशोथ के कारण दम घुटना; मस्तिष्क में सूजन; श्वास केंद्रों को क्षति; रक्त प्रवाह में कमी; हाइपोक्सिया; एनॉक्सिया; खोपड़ी का फ्रैक्चर; हाइपोक्सिक-इस्केमिक मस्तिष्क की चोट; मृत्युपूर्व घोषणा; एफआईआर; मृत्यु की आशंका।

मामला सामने आ रहा है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 228/2013
सीआरएलए संख्या 415/2005 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला के दिनांक 13.09.2012 और 17.10.2012 के निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की उपस्थिति

अपीलार्थियों के लिए: राजेश कंदारी, अभिनव परिहार, विक्रान्त सिंह बैस, सुश्री संगीता कुमार, श्रीमती वितिका गर्ग, सुश्री विदुषी गर्ग, हेमंत कुमार त्रिपाठी

उत्तरदाता के लिए अधिवक्ता: करण कपूर, अभिषेक गौतम

उच्चतम न्यायालय का निर्णय / आदेश

आदेश

1. यह अपील हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपीलीय सं 415/2005 में दिनांक 13-9-2012 द्वारा पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दायर दाण्डिक अपीलीय को अनुमति दी गई, जिससे अपर सत्र न्यायाधीश, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 2004/2002 के सत्र परीक्षण संख्या 11/7 में पारित निर्णय और दोषमुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया गया।
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 451,324,504,506 और 304 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (संक्षेप में, "आई. पी. सी.") के तहत अपराधों के लिए अपर सत्र न्यायाधीश, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की अदालत में दो अपीलार्थियों और तीसरे सह-अभियुक्त प्यारे लाल पर मुकदमा चलाया गया।
3. सत्र मुकदमे का समापन मृतक द्वारा स्वयं दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 205/2000 के संबंध में दायर आरोप पत्र से हुआ।
4. मृतक द्वारा स्वयं दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट इस प्रकार है:-

“प्रथम सूचना रिपोर्ट

(खंड 154 सीआर.पीसी के तहत)

1. जिला बिलासपुर; पुलिस थाना घुमारवीं; वर्ष 2000; प्राथमिकी आर. नं. 205/2 के दिनांकित 17.11.2000
2. क्रियाएँ: भा.दं.सं. सी. की धारा 451,324,504,506 और 34 के अंतर्गत।
3. [a] अपराध की घटना: गुरुवार 16.11.2000
10.30 अपराहन से 11.00 अपराहन।
[b]. पी. पूर्वाहन 17.11.2000 पर सुबह 10.15 पर प्राप्त जानकारी।
[c]. सामान्य सन्दर्भ- डीडी न. 7 10.15 पूर्वाहन
4. जानकारी का प्रकार: लिखित/मौखिक।
5. घटना का स्थान:
[a]. पी. एस. से दिशा और दूरी-8 कि. मी. पलथिन।

[b]. पता:पलथिन, पी. एस. घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

[c]. पुलिस थाना की सीमा से बाहर के मामले में:

6. शिकायतकर्ता/सूचना देने वाला:श्री प्रेम लाल, पुत्र श्री राम दत्त, व्यवसाय किसान, निवासी पलथिन, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)।
7. पूर्ण विवरण के साथ ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग-अलग पत्र संलग्न करें):
8. शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले द्वारा रिपोर्ट करने में देरी का कारण:
9. चोरी की गई/शामिल संपत्तियों का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग कागज संलग्न करें)।
10. चोरी की गई संपत्ति का कुल मूल्य:
11. पूछताछ रिपोर्ट/यू. डी. केस नंबर, यदि कोई हो तो:
12. प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट (यदि आवश्यक हो तो अलग पत्रक संलग्न करें)

आज दिनांक 17.11.2000 को, श्री प्रेम लाल, उपरोक्त कॉलम 6 में उल्लिखित शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन आए और अपनी शिकायत दर्ज कराई जो दिनांक 17.11.2000 को डीडी में रिपोर्ट संख्या 7 के रूप में दर्ज है। सूचनाकर्ता का नाम: प्रेम लाल, पुत्र राम दत्त, जाति हरिजन, निवासी गांव पलथीन, पुलिस थाना घुमारवीं, जिला बिलासपुर, उम्र लगभग 42 वर्ष। दिनांक 17.11.2000 को सुबह 10.15 बजे रिपोर्ट दर्ज की गई। शिकायतकर्ता प्रेम लाल पुत्र राम दत्त, जिसका उल्लेख कॉलम 2 में है, ने थाने में आकर रिपोर्ट दी कि - मैं गांव पलथीन में रहता हूं; दिनांक 16.11.2000 को रात्रि करीब 10.30 बजे मैं अपने घर के आंगन में बैठा था और अपने भाई प्यारे सिंह के साथ गोबर के ढेर को लेकर बहस कर रहा था; इसी बहस के दौरान मेरे भाई प्यारे सिंह ने सीता राम और ओंकार को बुला लिया और वे दोनों तुरंत वहां पहुंच गए और उसके बाद उन तीनों ने मेरे घर के आंगन में ही मुझे पीटना शुरू कर दिया; सीता राम जो अपने हाथ में दराट पकड़े हुए था, उसने मेरे माथे पर उसी दराट से हमला कर दिया और उसके बाद तीनों ने मुझे लात-घूंसें से पीटा, इतने में मेरी पत्नी आ गई और मुझे उनसे बचाया, उसके बाद तीनों मुझे जान से मारने की धमकी देकर चले गए और बोले कि आज तो किस्मत अच्छी रही, लेकिन अगली बार

जान से मार देंगे, साहब मुझे अपना मेडिकल चेकअप करवाना है। मैं उपरोक्त घटना की रिपोर्ट करने आपके पास आया हूँ। कृपया उचित कार्यवाही करें। हस्ताक्षरित प्रेम लाल। पुलिस कार्यवाही: उपरोक्त रिपोर्ट की विषय-वस्तु से प्रथम दृष्टया मारपीट का मामला सामने आता है और तदनुसार रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तथा उक्त रिपोर्ट शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाई गई है, जिसने इसे सही माना है तथा अपने बयान के नीचे हिंदी में अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, शिकायतकर्ता को आरक्षी दौलत राम नंबर 411 के साथ उसकी मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। कुछ समय बाद, आरक्षी दौलत राम, शिकायतकर्ता प्रेम लाल, पुत्र राम दित्तू की सीएचसी, घुमारवीं द्वारा जांच के बाद पुलिस थाना वापस आया और शिकायतकर्ता की एमएलसी प्रस्तुत की, जिसमें चिकित्साधिकारी ने निम्नलिखित पुष्टि की है - 'चोट की अवधि, इस्तेमाल किया गया हथियार तेज है।' पुलिस थाना में मुकदमा संख्या 205/2K दिनांक 17.11.2000 को धारा 451, 324, 504, 506 और 34 IPC के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच ए एस आई जैमर सिंह को सौंपी गई है।

13. की गई कार्रवाई (चूंकि उपरोक्त सूचना से उपरोक्त मद संख्या 2 में वर्णित धारा के तहत अपराध का पता चलता है। मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई है। ए.एस.आई जमेर सिंह को जांच करने का निर्देश दिया गया है। एफ.आई.आर शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाई गई, सही ढंग से दर्ज की गई मानी गई और एक प्रति शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता को निःशुल्क दी गई।

पढ़ा गया और सही माना गया

5. इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि 16-11-2000 को लगभग 10.30 बजे, मृतक का अपने ही भाई प्यारे लाल (सह-आरोपी) के साथ गाय के गोबर के ढेर में आग लगाने के संबंध में झगड़ा हुआ था। प्यारे लाल नाराज होकर अपने दो दोस्तों यानी हमारे सामने मौजूद अपीलकर्ताओं को बुलाता है। तीनों अभियुक्तों द्वारा मृतक पर हमला करने का आरोप है।
6. अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलकर्ता संख्या 1-इसमें (सीता राम) के हाथ में 'दराट' नामक एक हथियार था। आरोप है कि उसने मृतक के माथे पर 'दराट' से वार

किया था। दराट एक दरांती के रूप में है और इसका उपयोग कृषि उपकरण के रूप में किया जाता है।

7. अन्य दो सह-अभियुक्तों पर मृतक पर मुट्ठी और लातों से हमला करने का आरोप है।
8. मृतक की पत्नी (रोशनी देवी) अभियोजन साक्षी स. न.3 मृतक को बचाने आई।
9. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक चिकित्सा उपचार लेने के बाद, मृतक स्वयं पुलिस स्टेशन गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।
10. बाद में जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने खुद को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया।
11. घटना की तारीख से लगभग 9 दिनों के बाद यानी 25-11-2000 पर उनका निधन हो गया।
12. मृतक द्वारा दर्ज की गई मूल प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 324, 504, 506 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए थी। जैसे ही मृतक की मृत्यु हुई, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 जोड़ दी।
13. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक की खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ था। इलाज के दौरान उन्हें गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया और इससे उनकी तबीयत और बिगड़ गई। अंततः, चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के अनुसार, दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हुई।
14. विचारणीय अदालत ने दिनांक 20-4-2004 के आदेश के माध्यम से अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए।
15. सीता राम और प्यारे लाल के संबंध में आरोप क्रमशः इस प्रकार हैं:

दिनांक 16.11.2000 को लगभग 10.30 बजे रात्रि में ग्राम पल्थी में आप और सह-अभियुक्तों ने सभी की समान मंशा को आगे बढ़ाते हुए प्रेम लाल के घर में, जो मानव आवास के रूप में प्रयोग किया जाता था, प्रवेश करके गृह अतिक्रमण किया, ताकि उक्त प्रेम लाल पर हमला किया जा सके और उसे आपराधिक रूप से भयभीत किया जा सके और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 451 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

दूसरा, उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर उसने और सह-अभियुक्त ने सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से शिकायतकर्ता प्रेम लाल को 'दराट' से प्रहार करके चोट पहुंचाई, जो काटने के लिए एक उपकरण है और इस तरह धारा 34 भारतीय दंड संहिता के साथ पठित धारा 324 भारतीय दंड संहिता के तहत इस अदालत के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है।

तीसरा, उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर उसने और सह-अभियुक्त ने प्रेम लाल को गाली देकर जानबूझकर उनका अपमान किया और इस तरह प्रेम लाल को उकसाया कि इस तरह के उकसावे से प्रेम लाल ने सार्वजनिक शांति भंग करने का कारण बना और उसने इस तरह धारा 34 भारतीय दंड संहिता के साथ पठित धारा 504 भारतीय दंड संहिता के तहत और इस अदालत के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है।

चौथा, उपरोक्त दिनांक, समय और स्थान पर आप और सह-अभियुक्तों ने सभी की सामान्य मंशा को आगे बढ़ाते हुए उक्त प्रेम लाल को उसकी जान लेने के लिए आपराधिक रूप से धमकाया और इस प्रकार आपने धारा 505 आईपीसी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया और जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अंत में, उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर उसको और सह-अभियुक्त को प्रेम लाल की सभी गैर-इरादतन हत्या के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए रखा जाता है जो हत्या के बराबर नहीं है और इस तरह एक दंडनीय अपराध किया जाता है। 304 भा. द. स. खंड 34 भा. द. स. के साथ पढ़ा जाता है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

मैं निर्देश देता हूँ कि आप पर उपरोक्त आरोप के तहत इस न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप की विषय-वस्तु को आरोपी को पढ़कर सुना दिया गया है तथा स्थानीय भाषा में समझा दिया गया है।

आरोपी सीता राम पुत्र श्री पंजू, जिला दित्तू निवासी गांव पल्थी, पुलिस स्टेशन घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, उम्र 42 वर्ष का बयान।

ऑंकार के संबंध में प्रभार:-

“दिनांक 16.11.2000 को रात्रि लगभग 10.30 बजे ग्राम पल्थी में आप और सह-अभियुक्तों ने सामान इरादे से प्रेम लाल के घर में घुसकर उस पर हमला करने और उसे आपराधिक रूप से डराने के लिए अपराध किया और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 451 और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

दूसरा, उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर वह और सह-अभियुक्त ने सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से शिकायतकर्ता प्रेम लाल को 'दराट' से प्रहार करके चोट पहुंचाई, जो काटने के लिए एक उपकरण है और आपने इस तरह धारा 34 भारतीय दंड संहिता के साथ पठित धारा 324 भारतीय दंड संहिता के तहत और इस अदालत के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है।

तीसरा, उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर आप और सह-अभियुक्त ने प्रेम लाल को गाली देकर जानबूझकर उनका अपमान किया और इस तरह प्रेम लाल को उकसाया कि इस तरह के उकसावे से प्रेम लाल ने सार्वजनिक शांति भंग करने का कारण बनेंगे और उसने इस तरह धारा 34 भारतीय दंड संहिता के साथ पठित धारा 504 भारतीय दंड संहिता के तहत और इस अदालत के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है।

चौथा, उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर उसने और सह-अभियुक्त को सभी आपराधिक रूप से भयभीत लोगों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेम लाल ने कहा कि उसके जीवन को समाप्त कर दें और आपने इस तरह भा.दं.सं. सी. की धारा 34 के साथ पठित भा.दं.सं. सी. की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध किया और इस अदालत के संज्ञान में है।

अंत में, उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर उसको और सह-अभियुक्त को प्रेम लाल की सभी की गैर-इरादतन हत्या के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए रखा जाता है और इस तरह उसने गैर-इरादतन हत्या के तहत दंडनीय अपराध धारा 304 भा. द. स. धारा 34 भा. द. स. के साथ पढ़ा जाता है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

मैं निर्देश देता हूँ कि आप पर उपरोक्त आरोप के तहत इस न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाए।”

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप की विषय-वस्तु को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया है तथा स्थानीय भाषा में समझाया गया है। अभियुक्त ओंकार पुत्र श्री पंजू राम निवासी ग्राम पल्थी, पुलिस थाना घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का बयान।

16. अभियुक्त व्यक्तियों ने आरोप से इनकार किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।
17. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान कलमबंद किए। अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य के कुछ भागों पर भी भरोसा किया।
18. विचारणीय न्यायालय ने मौखिक के साथ-साथ अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने पर उपरोक्त सभी तीन अभियुक्तों को आरोपों से बरी कर दिया।
19. राज्य, विचारणीय न्यायालय द्वारा पारित फैसले और दोषमुक्ति के आदेश से असंतुष्ट होने के कारण, दण्डिक अपील की संख्या 415/2005 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी।
20. उच्च न्यायालय अभिलेख पर सम्पूर्ण साक्ष्य की पुनः प्रशंसा और पुनर्मूल्यांकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विचारणीय न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को बरी करने में त्रुटि की है।
21. उच्च न्यायालय ने अंततः अपीलकर्ता संख्या 1-इसमें सीता राम को भा.दं.सं. सी. की धारा 304 के तहत दंडनीय गैर इरादतन हत्या के अपराध का दोषी ठहराया और उसे 6 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
22. जहाँ तक अपीलकर्ता संख्या 2-ओंकार सिंह का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उन्हें भा.दं.सं. सी. की धारा 323 और 451 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया और उन्हें जुर्माने के साथ एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
23. ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरे अभियुक्त ने कोई अपील नहीं की है।
24. उपरोक्त परिस्थितियों में, अपीलकर्ता वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।
25. अपीलकर्ता नं. 1 की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रान्त सिंह ने जोरदार ढंग से पैरवी की कि उच्च न्यायालय ने विचारणीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का बहुत ही उचित निर्णय को बाधित करने में त्रुटि की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विचारणीय

न्यायालय ने पूरे साक्ष्य को देखा और उचित रूप से माना कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है।

26. उन्होंने कहा कि यदि दूसरा मत सम्भवतः एक साक्ष्यों के सेट तब भी उच्च न्यायालयों को दोषमुक्ति अपील में विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्षों को इतनी आसानी से पलटना नहीं चाहिए जब तक प्रतिकूल (विकृत) पाया गया हो।
27. उन्होंने कहा कि यह घटना 2000 में किसी समय हुई थी। लगभग 25 साल बीत चुके हैं। उसका मुवक्किल एक देहाती ग्रामीण है और आज की तारीख में उसकी उम्र लगभग 63 वर्ष है।
28. अपीलकर्ता संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री संगीता कुमार ने अपीलकर्ता संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को स्वीकार कर लिया। हालाँकि, उन्होंने दो और तर्क प्रस्तुत किए, जिन पर हमें विचार करना चाहिए और उनसे निपटना चाहिए।
29. उसका पहला निवेदन यह है कि मृतक की मृत्यु दम घुटने से हुई और वह भी घटना की तारीख से नौ दिनों की अवधि के बाद। उनके अनुसार, मृतक द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्यु घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता था, क्योंकि यह मृतक की मृत्यु के कारण से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में, निवेदन यह है कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध था, जिसका मृतक के सिर पर लगी चोट से कोई संबंध नहीं था।
30. उनकी दूसरी दलील यह है कि जब मृतक द्वारा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तो मृत्यु की कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरे शब्दों में, मृतक ने अपनी प्राथमिकी में जो कुछ भी कहा था, वह मृत्यु की प्रत्याशा में नहीं कहा गया था और इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य नहीं होगा।
31. दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक गौतम ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को आरोपित अपराध का दोषी ठहराने में कानून की किसी भी त्रुटि की बात न करने में कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती है।

विश्लेषण

32. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख द्वारा सामग्री को देखने के बाद, हमारा विचार है कि हमें साक्ष्य की पुनः गुण दोष विवेचना करने का

कोई और अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि उच्च न्यायालय ने इस द्वारा पूरी तरह से विचार किया है।

33. हम दोनों अपीलार्थियों को कथित अपराध का दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्कों में कोई स्पष्ट त्रुटि या विकृति नहीं पाते हैं।
34. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मृत्यु का कारण दम घुटना प्रतीत होता है। आम तौर पर, दम घुटना गला घोटने या गला घोटने के कारण होता है। हालाँकि, अभियोजन का मामला ऐसा नहीं है। किसी को आश्चर्य होगा कि अगर किसी व्यक्ति के सिर पर चोट लगी है या उसे चोट लगी है, तो वह दम घुटने से कैसे मर सकता है। हालाँकि, चिकित्सा विज्ञान का कहना है कि कभी-कभी सिर की चोट के कारण यदि पर्याप्त ऑक्सीजन मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती है तो इससे श्वासावरोध हो सकता है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की कमी हो सकती है मस्तिष्क की सूजन, श्वास केंद्रों को नुकसान, या मस्तिष्क में खराब रक्त प्रवाह जैसी विभिन्न जटिलताओं का कारण बनती है। सिर की चोट से मस्तिष्क सूज सकता है, जिससे खोपड़ी के भीतर दबाव बढ़ सकता है। यह दबाव मस्तिष्क के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संपीड़ित कर सकता है, जिसमें सांस लेने के लिए जिम्मेदार क्षेत्र भी शामिल हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है या सांस लेना भी पूरी तरह से बंद हो जाता है।

श्वसन केंद्रों को नुकसान:

35. मस्तिष्क के आधार पर स्थित ब्रेनस्टेम में ऐसे केंद्र होते हैं जो श्वास, हृदय गति और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं। सिर की चोट इन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे उनकी सांस लेने की योग्यता बाधित हो सकती है, जिससे श्वासावरोध हो सकता है।

खराब रक्त प्रवाह

36. सिर की चोटें मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों में कम प्रवाह और ऑक्सीजन वितरण हो सकता है। इससे हाइपोक्सिया नामक स्थिति या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है।

अन्य जटिलताएँ:

37. कुछ मामलों में, सिर की चोटें अन्य जटिलताओं को भी जन्म दे सकती हैं जो एस्फिक्सिया का कारण बन सकती हैं, जैसे कि दौरा, उल्टी, या आकांक्षा (बहार की

सामग्री को साँस में लेना)।

हाइपोक्सिक-इस्केमिक मस्तिष्क चोट:

38. इस प्रकार की मस्तिष्क की चोट तब होती है जब मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन और रक्त नहीं मिलता है, जिससे क्षति होती है और संभावित रूप से दीर्घकालिक अक्षमता होती है।
39. सुश्री संगीता कुमार ने दढ़ता से कहा कि मृतक की मृत्यु दम घुटने से हुई और वह भी नौ दिनों की अवधि के बाद। वह कहेगी कि चूँकि मौत का कारण अभियुक्त के आपराधिक कृत्य से निकट सम्बन्ध न है, मृतक का बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में मृत्युकालिक घोषणा धारा 32 साक्ष्य अधिनियम के तहत माना नहीं जा सकता। अन्य शब्दों में उसका निवेदन यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को मृत्युकालिक कथन के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि मृतक के बयान में अभियुक्त का आपराधिक कृत्य न ही असली मौत का कारण पोस्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दर्शाता है न ही मृतक की मौत का आपराधिक कृत्य से निकट सम्बन्ध दर्शाता है। सरल शब्दों में कहें तो, चूँकि प्राथमिकी में मृतक के बयान में आरोपी द्वारा केवल सिर पर घाव लगाने का आरोप लगाया गया है, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसके बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी मौत के वास्तविक कारण यानी दम घुटने का खुलासा करता है, और इसलिए इसे मृत्युकालिक घोषणा नहीं माना जा सकता है।
40. इस संबंध में, हम शिमट के अटॉर्नी डिक्शनरी ऑफ मेडिसिन, खंड 1, पृष्ठ ए-313 में एस्फिक्सिया की परिभाषा का संदर्भ ले सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है:

“श्वासावरोध:घुटन की स्थिति, जो ऑक्सीजन की कमी और रक्त और ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक आपूर्ति या अधिकता से चिह्नित होती है। यदि राहत नहीं मिलती है, तो स्थिति घुटन की भावना से कोमा और अंत में मृत्यु की ओर बढ़ती है। श्वासावरोध कई तरीकों से लाया जा सकता है, फेफड़ों में हवा के प्रवेश को अवरुद्ध करके, कार्बन मोनोऑक्साइड को साँस में लेकर जो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को विकृत करता है, बिजली के झटके से, डूबने आदि से।

स्थानीय श्वासावरोध में अंगुलियों के रूप में शरीर का एक क्षेत्र या हिस्सा शामिल होता है। यह अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण होता है।”

41. 'मेल विद टॉर्सो इंजरी' नामक एक शोधपत्र में कहा गया है कि "दर्दनाक दम घुटने वाले रोगियों के लिए महत्वपूर्ण सिर (67 प्रतिशत), वक्ष (58 प्रतिशत से 79 प्रतिशत), या पेट (50 प्रतिशत) की चोटों का होना असामान्य नहीं है।" ऐसे रोगियों में श्वासावरोध अक्सर पहले के अवसर पर लगी शारीरिक चोटों से उत्पन्न होता है। [देखिए: ब्रास्लो, बी. एम., स्टाविकी, एस. पी., और डिकिंसन, ई. टी., मेल विद टॉर्सो इंजरी, 53 (1) एनल्स ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, 159-167 (2009)]।
42. संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी, 'एनोक्सिया' को एक अंग में ऑक्सीजन वितरण की पूर्ण कमी के रूप में वर्णित करता है, जबकि 'हाइपोक्सिया' एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक अंग ऊतक की चयापचय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन वितरण का अनुभव करता है। इन दोनों शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। अध्ययन से पता चलता है कि एनोक्सिक और हाइपोक्सिक मस्तिष्क की चोट एक ऐसी घटना है जो तब हो सकती है जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन वितरण से समझौता किया जाता है। यह मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में रुकावट, हृदय गति रुकने, गला घोटने या रक्त की ऑक्सीजन सामग्री को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत विकृतियों के कारण हो सकता है। यह आगे एनोक्सिक मस्तिष्क की चोट के परिणामस्वरूप लंबे समय तक कोमा से मृत्यु हो सकती है। उनके परीक्षणों से पता चलता है कि पोस्ट-हाइपोक्सिक कोमा वाले 27 प्रतिशत रोगियों को कुछ दिनों के भीतर होश आ गया, 9 प्रतिशत कोमा में या वनस्पति अवस्था में रहे, और 64 प्रतिशत की मृत्यु हो गई। [देखिए: मिरियम लेसर्ट, एंजेला हेज़ शापशाक, फासिल बी. मेसफिन, "हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी", नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, 27 जनवरी, 2023।]
43. हाइपोक्सिक मस्तिष्क की चोट (जिसे हाइपोक्सिक-इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी के रूप में भी जाना जाता है) अक्सर संवहनी चोट या अपमान (आंतरिक शारीरिक आघात चोट) के कारण होती है। ज़ाचरी मेसिना; एंजेला हेज़ शापशाक; रेबेका मिल्स। "एनोक्सिक एन्सेफैलोपैथी, "नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन]। संवहनी चोट तीन रूपों में आ सकती है: कुंद, भेदक या संयोजन। आमतौर पर, जो रोगी हाइपोक्सिक मस्तिष्क की चोट या

हाइपोक्सिक-इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी से मर जाते हैं, वे अक्सर प्राथमिक लक्षणों में से एक के रूप में श्वासावरोध दिखाते हैं। [देखिए: दी म्यूज़ियो बी, महसौब एम, वलीज़ाई टी, आदि। हाइपोक्सिक-इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी (वयस्क और बच्चे)]। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, हाइपोक्सिक-इस्केमिक मस्तिष्क की चोट को मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण बताया गया है, जो हर साल अपराध के आधे मिलियन से अधिक नए पीड़ितों को प्रभावित करता है। [देखिए: लौरा एल. डुगन और डेनिस डब्ल्यू चोई। "हाइपोक्सिया-इस्केमिया और ब्रेन इंफार्क्शन, "नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन]

44. सिर की चोट संभवतः पेट में अल्सर का निर्माण कर सकती है जिसे 'कुशिंग अल्सर' के रूप में जाना जाता है क्योंकि मस्तिष्क में अंतर्निहित एक तंत्रिका की जलन या हानि होती है जिसे 'वेगस तंत्रिका' के रूप में जाना जाता है जो सीधे पेट और उसके कामकाज से जुड़ा होता है। जब एक घाव लगाया जाता है जैसे कि इस तंत्रिका के कामकाज में जलन या हानि, तो वही गैस्ट्रोएंटेराइटिस की ओर ले जाता है जो पेट में तरल के गठन का कारण बनता है जिसे 'चाइम' के रूप में जाना जाता है जिसमें फेफड़ों में प्रवेश करने की संभावना होती है यदि पीड़ित कोमा की स्थिति में होता है, जैसा कि अक्सर सिर की चोटों में होता है, और यह अंततः मस्तिष्क को ऑक्सीजन से वंचित कर देता है, जिससे श्वासावरोध हो जाता है। वर्तमान मामले में भी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि खोपड़ी के फ्रैक्चर के इलाज के दौरान मृतक को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ था, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गई थी, जब पेट में तरल उसके फेफड़ों में प्रवेश कर गया था, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। [देखें; एम. माइकल वोल्व और जॉर्ज सैक्स, एसिड दमन: गैस्ट्रोडोडेनल अल्सर हीलिंग, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग और तनाव-संबंधित क्षरण सिंड्रोम के लिए इष्टतम चिकित्सा, खंड 118 (2) गैस्ट्रोएंट्रोलाजी एस9-एस31 (2000)]

45. यद्यपि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में केवल यह कहा गया है कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध था, फिर भी चिकित्सा-कानूनी न्यायशास्त्र में मृतक की मृत्यु का कारण सिर में घाव होगा जिससे खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया जिससे श्वासावरोध हो गया और अंततः इस घटना से मृतक की मृत्यु हो गई; 'हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी'। उपरोक्त व्याख्या के आलोक में, हम अपीलार्थियों की ओर से प्रचार किए गए समर्पण में कोई बल नहीं पाते हैं।

क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में मृत्यु की अपेक्षा की आवश्यकता है?

46. आज हमारे सामने मृतक द्वारा स्वयं दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट है। सवाल यह है कि क्या हमें इसे साक्ष्य अधिनियम की खंड 32 के तहत मृत्यु घोषणा के रूप में मानना चाहिए या नहीं?
47. अपीलकर्ता नं. 2 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री संगीता कुमार ने कहा कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं मृतक द्वारा दर्ज की गई थी, फिर भी इसे मृत्यु घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता था क्योंकि यह मृत्यु की उम्मीद में नहीं था।
48. साक्ष्य अधिनियम की खंड 32 (1) निम्नानुसार है:
- ‘‘धारा 32. जिन मामलों में व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक तथ्य का कथन प्रासंगिक है जो मर चुका है या पाया नहीं जा सकता है, आदि, प्रासंगिक है’’:-
- एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्यों के लिखित या मौखिक बयान, जो मर चुका है, या जो नहीं पाया जा सकता है, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति देरी या खर्च की राशि के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अनुचित लगता है, स्वयं निम्नलिखित मामलों में प्रासंगिक तथ्य हैं:
- (1) जब यह मृत्यु के कारण से संबंधित हो।- जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, या लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के बारे में बयान दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तो उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है। इस तरह के बयान प्रासंगिक हैं, चाहे वह व्यक्ति जिसने उन्हें बनाया था, उस समय जब उन्हें बनाया गया था, मृत्यु की उम्मीद में था या नहीं, और उस कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो जिसमें उसकी मृत्यु का कारण सवाल में आता है।’’
49. मृत्यु घोषणा पर विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं, यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है जिसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना है। जहाँ तक विश्वसनीयता का सवाल है, यह एक गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य के समान है। यह न्यायालय को तय करना है कि उसे इस पर विश्वास करना है या नहीं और कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उस पर विश्वास किया जाना चाहिए या उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब यह माना जाता है, तो यह विचार करना अप्रासंगिक और अतार्किक है कि यह शपथ पर नहीं किया गया है और निर्माता से

जिरह नहीं की गई है। शपथ, केवल गवाह को सच बोलने के उद्देश्य से दी जाती है ताकि वह जो बयान देता है उस पर विश्वास किया जा सके। जिरह का उद्देश्य गवाह की सच्चाई का परीक्षण करना है। [देखें; इरफान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 आई. एन. एस. सी. 758 में रिपोर्ट किया गया]

50. लेकिन एक बार जब मृत्यु घोषणा को विश्वसनीय माना जाता है, तो ये सवाल नहीं उठते हैं कि कोई शपथ नहीं ली गई थी और मृत्यु घोषणा का परीक्षण प्रतिपरीक्षा द्वारा नहीं किया गया था। मृत्यु घोषणा को विश्वसनीय ठहराने से पहले प्रश्नों पर विचार करना होगा। जब कानून ने शपथ और जिरह की अनुपस्थिति के बावजूद इसे एक "प्रासंगिक तथ्य" बना दिया है, तो इसका मतलब है कि केवल इन मामलों की अनुपस्थिति के कारण इसे अविश्वसनीय नहीं माना जाएगा। यदि इसे अविश्वसनीय माना जाता है, तो इसे अन्य परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि मृत्यु घोषणा पर बिना पुष्टि के कार्रवाई नहीं की जा सकती है; यदि ऐसा माना जाता है, तो इसके लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।
51. अंग्रेजी कानून मृत्यु घोषणा के रूप में केवल हत्या के कारण और परिस्थितियों से संबंधित भौतिक तथ्यों के ऐसे बयानों को स्वीकार करता है, जो पीड़ित द्वारा इस निश्चित और गंभीर विश्वास के तहत किए जाते हैं कि उसकी मृत्यु अपरिहार्य है और निकट है। जिस अवसर पर बयान दिए जाते हैं, उसकी गंभीरता को शपथ की मंजूरी प्रदान करने वाला माना जाता है। मृत्यु के दृष्टिकोण को मन की एक ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए माना जाता है जिसमें मरने वाले व्यक्ति के बयानों को गलत कहने के सभी सामान्य उद्देश्यों से मुक्त माना जाता है।
52. भारत में कानून मृत्यु की घोषणा की स्वीकार्यता को इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि व्यक्ति को मृत्यु के निकट आने की चेतना है। भले ही व्यक्ति को आशंका न हो कि वह मर जाएगा, लेकिन उसकी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में उसके द्वारा दिया गया बयान साक्ष्य अधिनियम की खंड 32 के तहत स्वीकार्य होगा।
53. उपरोक्त संदर्भ में, हम (2003) 1 एस. सी. सी. 637 में प्रतिवेदित हरियाणा राज्य बनाम मांगे राम और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“11. ... उच्च न्यायालय द्वारा की गई मूल दुर्बलता यह मान लेने में है कि मृत्यु की घोषणा साक्ष्य में स्वीकार्य होने के लिए, यह आवश्यक है कि बयान देने वाला, बयान देते समय, मृत्यु की छाया में होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की खंड 32 ऐसा नहीं कहती है। भारत में यह कानून नहीं है। भारतीय कानून के तहत, मृत्यु घोषणा को साक्ष्य में स्वीकार्य होने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि बयान देते समय बयान देने वाला व्यक्ति मृत्यु की छाया में हो और उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उसकी मृत्यु आसन्न थी। आसन्न मृत्यु की अपेक्षा करना कानून की आवश्यकता नहीं है।....”

(जोर दिया गया)

54. (2000) 5 एस. सी. सी. 207 में रिपोर्ट किए गए कंस राज बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

“धारा 32 में यह अपेक्षा नहीं की गई है कि साक्ष्य में स्वीकार किए जाने की मांग किए गए बयान को मृत्यु की आसन्न प्रत्याशा में दिया जाना चाहिए था। धारा 32 में दिखाई देने वाले “लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के बारे में जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई” शब्दों का वास्तविक घटना के साथ कुछ निकट संबंध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मृत्यु के कारण या लेन-देन की परिस्थितियों से संबंधित मृतक का बयान, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, वास्तविक लेन-देन के साथ पर्याप्त या निकटता से जुड़ा होना चाहिए। इस तरह के बयान को ठोस साक्ष्य के रूप में देने के लिए, उस पर भरोसा करने वाला व्यक्ति या संस्था इस तरह के बयान को तथ्य के रूप में साबित करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत है।”

(जोर दिया गया)

55. इस प्रकार, हम सुश्री संगीता कुमार की दोनों प्रस्तुतियों में कोई गुण नहीं पाते हैं।

निष्कर्ष

56. मामले के समग्र दृष्टिकोण से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालाँकि, कुछ कम करने वाली परिस्थितियाँ हैं जिनके आधार पर हमें उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम करने के लिए राजी किया जाता है।

57. जहाँ तक अपीलकर्ता संख्या 1 अर्थात् सीता राम का संबंध है, उसे 6 साल के कठिन कारावास और 5000 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक विचाराधीन कैदी के रूप में, वह लगभग 3 महीने तक जेल में रहा।
58. हम 5000 रूपए के जुर्माने की राशि को बनाए रखते हुए सजा को 6 साल के कठिन कारावास से घटाकर एक साल का कठिन कारावास कर देते हैं। यदि Rs.5000 रूपए का जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो उसे आगे 6 महीने के कठिन कारावास से गुजरना होगा।
59. जहाँ तक अपीलकर्ता संख्या 2-ओंकार सिंह का संबंध है, उन्हें जुर्माने के साथ 1 वर्ष की कठिन कारावास की सजा सुनाई गई है।
60. ओंकार सिंह के मामले में, हम सजा को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि तक कर देते हैं। हालाँकि, वह 10000 रूपए के जुर्माने का भुगतान करेगा-यदि अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। यदि 10000 रूपए का जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो उसे उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए 6 महीने के कठिन कारावास से गुजरना होगा।
61. अपीलकर्ता सीता राम को इस अदालत द्वारा वर्तमान अपील लंबित रहने तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। अब वह आज से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर सजा के शेष भाग से गुजरने के लिए विचारणीय अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।
62. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील का निपटारा किया गया।

† हेडनोट तैयार किए गए : निधि जैन